डॉ जीतेंद्र कुमार होता
सहायक प्राध्यापक (भूगोल)
भूगोल विभाग, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ : वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की विविधता उस क्षेत्र की जैविक सम्पन्नता का स्पष्ट परिचायक होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वनों में जैविक हस्तक्षेप बढ़ा है। इसलिए जैव विविधता में कमी आई है। छत्तीसगढ़ की जलवायु एवं घने वन प्रमाणित करता है कि यहां कभी विभिन्न प्रजाति के जीव सर्वाधिक पाए जाते थे। प्रजाति का तात्पर्य एक वर्ग विशेष, जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरुपता प्रदर्शित करती है, के जैविक नस्ल से है। जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के लक्षणों के योग से भिन्न होता है (हैडन,1924)। प्रकृति के सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर बाघ अथवा वन क्षेत्र में रहने वाले मानव सभी का अपना–अपना महत्व है। बड़े जीव निश्चित खाद्य श्रृंखला के अनुसार अपना भोजन बनाते हैं। जिससे प्रकृति में प्रजाति आधारित संतुलन बना रहता है। बाघ अपने शिकार का 60 से 70 प्रतिशत भाग ही खाता है। शेष भाग छोटे जीव गीदड़, लोमड़ी खाते हैं। उनसे जो भी बचता है, उसे बाज, गिद्ध, कौए खाते हैं। इस तरह पर्यावरण दूषित होने से बचता है। अन्त में जीवाणु सूक्ष्म कणों में अपघटित कर देती हैं। अतः बाघ, एवं तेन्दुआ एक तरह से पर्यावरण का एक बड़ा संरक्षक है।

छत्तीसगढ़ वन्य जीव प्रजाति के अन्तर्गत बाघ, तेन्दुआ, लोमड़ी, सियार, भालू , जंगली बिल्ली, साही, खरगोश, चीतल, साभर, कोटरी, नीलगाय, बंदर, जंगली सुअर, गौर, वनभैंसा, पक्षी में गिद्ध, बाज, कौआ, तोता, मोर, जंगली कबूतर, सांप में अजगर, नाग, करायत, धामन, इत्यादि पाए जाते हैं ।

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

वन्य जीव संरक्षण यानी दुर्लभ या विलुप्तप्रायः जीव प्रजातियों को प्राकृतिक रहवास, कृत्रिम रहवास को सुरक्षा प्रदान कर उनके अस्तित्व को बचाए रखना है जिससे न सिर्फ जैव विविधता संरक्षण होता है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है, जबकि प्रबंधन तकनीक के चुनाव से पूर्व लक्ष्य प्रजातियों की संख्या के संरक्षण, संवर्धन के लिए प्राकृतिक दशाओं को पहचान कर पूर्ति करना है।

संरक्षण के लिए मुख्यता निम्नलिखित तथ्यों का अनुसरण आवश्यक है –

1. दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों के जीवों के शिकार को रोकना तथा उनके वंश की वृद्धि (संवर्धन) करना।
2. प्राकृतिक रहवास स्थलों को सुरक्षित रखना।

3. प्रत्येक आयु वर्ग के नागरिकों, पर्यटकों के हृदय में वन एवं वन्य प्राणी को प्रतिस्थापित करने के लिए इनके आवास, व्यवहार, विचरण को सहज, सुलभ तरीके से प्रदर्शित किया जाना।

छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विशेष जीवों के लिए निम्नलिखत परियोजना संचालित किया गया है।

पहाड़ी मैना संरक्षण –

छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी पहाड़ी मैना का वर्तमान में मुख्य रहवास नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांगेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, पुल्वा, इत्यादि वन क्षेत्र हैं।

पहाड़ी मैना के बारे में स्थानीय स्तर की जानकारियों का संकलन, कार्यशालाओं का आयोजन, मैना से संबंधित साहित्य का वितरण, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन क्षेत्रों में मैना के देखे जाने के अभिलेखीकरण, आदि कार्य संचालित किए जा रहे हैं। सूचना तंत्र को मजबूत रखकर अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किए गए हैं।

2009–2010 में राज्य कैम्पा मद से 15 लाख रु. का प्रावधान मैना संरक्षण हेतु दिया गया है। यह मैना मानव की आवाज की हुबहु नकल करती है। 2005 में शीत ऋतु में 20 मैना दिखाई दिए थे जिनके विकास के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विगत 10 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। यहां साल के बड़े पेड़ों को पिंजरे से घेर दिया गया है जहां चार मैना रखे गए हैं। जिसमें नर एवं मादा मैना की पहचान पूर्ण रुप से न हो पाने से पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई, जिसके लिए प्रयास जारी है।

वन भैंसा संरक्षण –

छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु वन भैंसा घोषित किया गया है। इनके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण वन भैसों पर संकट बढ़ा है। ये दुर्लभ एवं संकट ग्रस्त वन भैंसा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उदन्ती, पामेड़ अभ्यारण्य एवं

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में शुद्ध नस्ल के पाए जाते हैं। यह भारत का तीसरा बड़ा स्तनधारी जीव माना जाता है। उदन्ती टायगर रिजर्व में एक मात्र बची मादा वन भैंसा को लगभग 26 हेक्टेयर कांटेदार से घिरे बाड़े में संरक्षित रखा गया है। इस मादा वन भैंसा के साथ नर वन भैसे को समय–समय पर बदल–बदल कर रखा जाता है। मादा वन भैंसा से अभी तक 2 नर पाड़ों का जन्म हुआ है और वर्तमान में पुनः गर्भवती है।

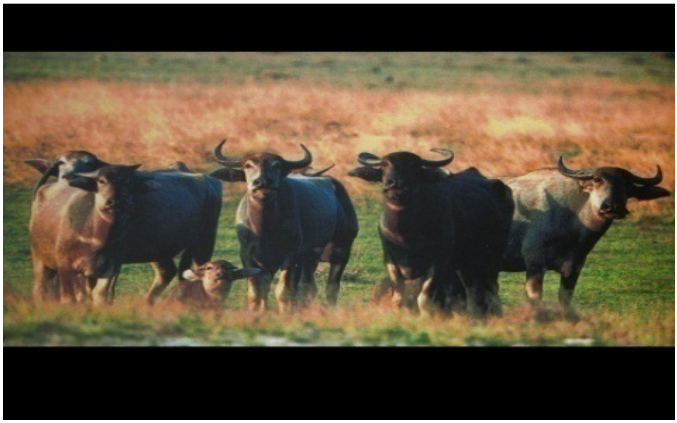

छत्तीसगढ़ में 2002 के गणना के अनुसार 133 वन भैंसे थे जो वर्ष 2005 में 121 तक घट गए। जिन्हें बचाने के लिए वन विभाग द्वारा बाईल्ड लाइफ ट्रस्ट आफ इण्डिया नई दिल्ली के साथ पूर्व में किए गए समझौता पत्र की अवधि समाप्ति उपरान्त पुनः तीन वर्ष बढ़ाया गया है। जिसके अन्तर्गत यह संस्था वन भैसों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग दे रही है।

बाध संरक्षण –

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान केन्द्र शासन की प्रोजेक्ट टायगर योजना वर्ष 1982 से सम्मिलित है।

परन्तु इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं आसपास के क्षेत्रों को मिला कर टायगर रिजर्व का दर्जा दिनांक 20.02.2009 को दिया गया। इसके अतिरिक्त अचानकमार, उदन्ती, सितानदी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टायगर योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 05.08.2006 को दी गई, जबकि राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 20.02.2009 द्वारा उदन्ती, सीतानदी, अचानकमार अभ्यारण्य को टायगर रिजर्व घोषित किया गया है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 38 के तहत उदन्ती, सीतानदी, इन्द्रावती, अचानकमार टायगर रिजर्व के लिए टायगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का पंजीयन कर दिया गया है।

मगरमच्छ संरक्षण –

वन मंडल जांजगीर–चांपा के अंतर्गत कोटमीसोनार ग्राम के पास तालाबों की एक श्रृंखला है। जिनकों मगरमच्छों ने अपना रहवास बना रखा है। इस क्षेत्र के निवासियों के तालाबों में नहाने या निस्तार के लिए जाने पर कई बार मगरमच्छों द्वारा उन पर हमला कर घायल कर दिया गया है।

जिससे मानव एवं मगरमच्छ द्वंद्व को कम करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से मगरमच्छ संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। जिसमें 2 करोड़ 32 लाख का व्यय आना प्रस्तावित था, जिसका उद्देश्य मगरमच्छों को संरक्षण तथा पर्यटन को विकसित करना था। वर्तमान में यहां 110 मगरमच्छ संरक्षित है।

हाथी संरक्षण –

छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, धरमजयगढ़, कोरबा एवं कटघोरा वन मंडलों में हाथी लगातार विचरण करते आ रहे हैं। इनके द्वारा भारी मात्रा में जन–धन हानि के कारण वित्तीय वर्ष 2008–09 से हाथी के रहवास क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजना प्रारंभ किया गया है। जिसमें हाथी रहवास क्षेत्रों को सुरक्षित तथा विकसित किया जा रहा है। हाथी मानव द्वंद्व दूर करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरुक शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरुक करते हुए हाथी द्वारा जन–धन

हानि को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों को होने वाले हानि के लिए अतिशीघ्र मुआवजा भुगतान करने की व्यवस्था है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बादलखोल, तमोर पिंगला, सेमरसोत अभ्यारण्य, को हाथी रिजर्व बनाने की घोषणा की है। हाथी एवं मानव द्वंद्ध को कम करने के लिए सोलर पावर फेसिंग एवं हाथी अवरोध खेती को प्रभावी एवं सार्थक पाया गया है। जिसके लिए 2010–11 में राज्य आयोजन मद से लगभग 100 किमी. लंबा सोलर पावर फेंसिंग का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य वन जीव बोर्ड की बैठक में हाथी रहवास क्षेत्रों के विकास तथा हाथी–मानव द्वंद्ध को कम करने हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की अनुशंसा की गई है। छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैंः–

संरक्षण के उपाय –

1. वन्य प्राणी संरक्षण के लिए अधिनियम 1972 प्रभावी है जिसे अत्यधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए अनेक बार संशोधन किया गया है। वर्ष 2003 में अन्तिम बार संशोधन किया गया जिसमें वन्य प्राणी अपराध के तहत् किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष तक कारावास अथवा 25000 रु. के आर्थिक दंड का प्रावधान है। इसके साथ ही ऐसे अपराध में उपयोग में लाए गए वाहनों, उपकरणों आदि को अधिग्रहित कर तत्काल शासकीय सम्पत्ति घोषित कर दिए जाने का प्रावधान है।
2. वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं जनसाधारण में वन्य प्राणियों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके तथा ज्ञान प्रदान कर सके इसके लिए चित्रकला, निबंध, क्विज, वाद–विवाद, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त चल–चित्रों का प्रदर्शन वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में ट्रेकिंग तथा प्रमुख शहरों मे रैलियों का आयोजन भी किया जाता है।

3. वन्य प्राणी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। ग्रामीणों तथा जन साधारण को समझाकर एवं उनमें जागरूकता लाना है। जिससे वन्य जीवों के शिकार पर रोक लग सके तथा संरक्षण हो सके।

4. पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों के महत्व को समझाना तथा उन्हें सुरक्षित रख कर पारिस्थितिक पर्यटन को विकसित करना है।

प्रबंधन के उपाय

1. वन्य प्राणी प्रबंधन कार्यवृत्त के अंदर बसे सभी ग्रामों के मवेशियों के स्वास्थ की देख रेख करना।
2. वन्य प्राणी प्रबंधन कार्यवृत्त में चारण आदि के लिए जिन ग्रामों के मवेशी आते हैं, उन ग्रामों के मवेशियों को टीका लगाना जिसका प्रभाव वन्य प्राणी पर न पड़े।
3. अवैध शिकार, अस्वभाविक मृत्यु वाले वन्य प्राणियों का पोस्टमार्टम करना।
4. पशु चिकित्सा सेवा से संबधित अन्य कार्य सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ शासन की वननीति 2001 में वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किया गया है। साथ ही भारतीय वन्यप्राणी संस्थान देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश का भी समुचित पालन किया गया है।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के **प्रबंधन** हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित की गई है:

1) आयोजना क्षेत्र में जैविक हस्तक्षेप के वर्तमान स्तर में कमी लाना।

2) आयोजना क्षेत्र में वन्यप्राणियों के साथ साथ उनके प्राकृतिक आवास का पूर्ण संरक्षण एवं संवर्धन करना।

3) आयोजना क्षेत्र के ग्रामवासियों को वन्यप्राणी के संबंध में सक्रिय भागीदार बनाना।

4) आयोजना क्षेत्र के ग्रामवासियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का उत्थान करना।

5) वनक्षेत्र को अग्नि से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना, जिससे वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास के मुख्य घटकों को चारा तथा आच्छादन की उपलब्धता बनी रहे।

6) आयोजना क्षेत्र में समीपवर्ती क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

नियोजनः–

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास में वन्यजीव संरक्षण तथा वनग्रामों की सुविधा, सुरक्षा एवं विकास के लिए विभिन्न कार्य संचालित किए गए हैं। जिसमें सरकार द्वारा आवश्यक राशि आबंटन की गई है। नियोजन विकास की एक प्रक्रिया है। जिससे राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य का चहुंमुखी विकास हो तथा वहां से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग की व्यवस्था की जाती है। वनक्षेत्र पर संकट ग्रस्त, दुर्लभ एवं मूल्यवान वन्यजीवों तथा वनस्पतियों का संरक्षण एवं प्रबंधन किया जाना है। जिससे पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास होगा।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के प्रबंधन एवं नियोजन हेतु 2005 में कुल लागत राशि 1815.60 लाख तथा रखरखाव के लिए रु.577.32 लाख

की राशि खर्च किया गया है जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, तथा वन्यजीव एवं वनस्पतियों और पर्यटन का विकास हो ।

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के नियोजन के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जिससे पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास होगा :

1. वन्यजीवों तथा वनस्पति की प्रजाति तथा संख्या का सही आंकड़ा उपलब्ध कर उनकी संख्या में वृद्धि करना ।
2. पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना, जिससे जीव सुरक्षित रहे।
3. राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से जुड़ी समिति तथा संस्था के लोगों को उचित शिक्षा देना तथा सहयोग लेना।
4. नवीन वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना, विकासात्मक कदम उठाना ताकि वन अवनयन तथा दुर्लभ प्रजाति के जीव के लुप्त होने को रोका जा सके।
5. सरकार द्वारा दी गई राशि का राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य क्षेत्रों में उचित खर्च करना।
6. पर्यटन क्षेत्र के आस–पास के नदियों, पहाड़ों, हरे–भरे जंगल और हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति के एतिहासिक स्मारकों और आस्था केन्द्रों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं को ध्यान रखना।